



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी की गई 'फामसी अहता का विवरण', 2014, संशोधित संस्करण के अनुसार, फामसी अहता को स्वीकृत किया जाने का पात्र है।

- ii) 'फामसी विनियम, 2014' नामक पीसीआई विनियम अधिसूचित किया गया है, जिसमें फामसी अहता को स्वीकृत किया गया है जिसमें भारतीय फामसी संस्था द्वारा जारी की गई फामसी अहता को स्वीकृत अहता के रूप में शामिल किया गया है।
- iii) पीसीआई ने विविध परिषदों/राज्य सरकारों को विविध पदों के लिए फाम डी को आवश्यक के रूप में विचार करने का निदेश दिया है।
- iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रदाता प्रत्याभूति (NPS) द्वारा जारी की गई फाम डी उपाधि धारकों को सेवाओं का उपयोग प्रत्याभूति के तहत करने के लिए कहा है।
- v) मेमोरियल सटर एडवांसड सटर फार ट्रीटमट, रिसच एंड एजुकेशन इन कसर ने फाम डी को एक वर्ष का फेलोशिप में शामिल किया है।
- vi) फामसी प्रैक्टिस विनियम, 2015 को संशोधित करने के लिए कायवाहा कर रहा है।
- vii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय, 1956 के अनुच्छेद 22(3) के तहत फाम डी (फाम डी) को उपाधि को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया है।
- viii) फाम डी को भारतीय फामाकोपिया आयोग द्वारा रोगी सुरक्षा-फामाकोविजस एसोसिएट के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है।

----